अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील संख्या–20/2025
सुरेन्द्र मिश्र व अन्य
बनाम
बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं अन्य

उपस्थितिः–
श्री सुरेश कुमार ईश्वर .....अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
श्री सुशील कुमार झा ..... प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता।
श्री शशांक शेखर झा .....बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड की विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र मिश्र, पिता–स्व0 जगरनाथ मिश्र, ग्राम–गौतम बुद्ध नगर, गोढ़ना रोड, आरा, थाना–नवादा, जिला–भोजपुर व एक अन्य ने संस्कृत शिक्षा बोर्ड के ज्ञापांक 593, दिनांक 29.07.2025 के विरूद्ध यह अपील दाखिल किया है, जिसके द्वारा संस्कृत उच्च विद्यालय, अंधारी, भोजपुर के प्रबंध समिति का अनुमोदन दिया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार के संज्ञान में यह तथ्य लाया कि अपीलार्थी सं0–1, श्री सुरेन्द्र मिश्र, इस विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक एवं पूर्व की प्रबंध समिति के सदस्य रहे हैं, जबकि अपीलार्थी सं0–2, श्रीमती दीपमाला पाण्डेय, उक्त विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं।

अपीलार्थी का आरोप है कि श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा, जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद से दिनांक 15.07.2025 को सेवानिवृत्त होने वाले थे और सरकारी नियमानुसार दिनांक 31.07.2025 को सेवानिवृत्त हुए, ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व की तिथि में (ante dated) प्रथम चरण और द्वितीय चरण की नामिका दाखिल कर प्रबंध समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया। अपीलार्थी सं0–2 विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका थीं, किन्तु नामिका का अग्रसारण उनके हस्ताक्षर से नहीं हुआ। उन्हें शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में प्रबंध समिति में नामित किया गया है। अपीलार्थी सं0–2 को जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो उसने दिनांक 24.07.2025 को संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव के समक्ष आपत्ति आवेदन दिया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अपीलार्थी की ओर से यह बताया गया कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने ज्ञापांक 523, दिनांक 29.07.2025 द्वारा प्रबंध समिति का अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रत्याशा में दे दिया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.09.2025 को भी आवेदन दिया गया, जो बोर्ड के कार्यालय में दिनांक 10.09.2025 को प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी सं0–5 ने विद्यालय में दान नहीं दिया है, फिर

भी वह दान–दाता बन गए। सरिता देवी, पति–डब्लू राम एवं सुनील कुमार शर्मा के बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं एवं इनका घर उक्त विद्यालय से 40 किलामीटर की दूरी पर है, फिर भी दोनों को अभिभावक प्रतिनिधि बनाया गया है। अपीलार्थी सं0–2 के फर्जी हस्ताक्षर से प्रस्ताव भेजे गए हैं। प्रबंध समिति के गठन की शक्ति बोर्ड में है, जिसका उपयोग प्रतिवादी अध्यक्ष ने किया है, जो माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत है।

दिनांक 15.05.2026 को अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया एवं बताया गया है कि प्रतिवादी सं0–5 उक्त विद्यालय के दान–दाता सदस्य नही हैं क्योंकि उन्होंने 10,000/–रू0 अथवा उक्त मूल्य का सामान विद्यालय के हित में दान नहीं किया है। प्रतिवादी सं0–5 के पिता, रामकृष्ण शर्मा ने उक्त विद्यालय को 13 डी0 भूमि दान में दी थी एवं वह उक्त विद्यालय के दान–दाता सदस्य थे। नियमावली, 2015 के अनुसार दाता सदस्य की मृत्यु के बाद उसके वारिस दाता सदस्य नहीं होंगे। उक्त प्रश्नगत आदेश अवैध है क्योंकि अपीलार्थी सं0–2 उक्त विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं तथा उनका कहना है कि संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति के गठन हेतु कोई बैठक नहीं की गई है, बल्कि उनके जाली हस्ताक्षर का उपयोग कर प्रबंध समिति गठित की गई है। अपीलार्थी सं0–2 शिक्षक प्रतिनिधि हैं लेकिन उनके द्वारा प्रबंध समिति के गठन की सूचना नहीं जारी की गई थी एवं बिना किसी बैठक के प्रबंध समिति का गठन प्रश्नगत आदेश द्वारा किया गया है। उक्त प्रश्नगत आदेश बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है क्योंकि प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 को संबंधित विद्यालय में नियमित अथवा तदर्थ प्रबंध समिति गठन करने का कोई अधिकार नहीं था। इस मामले को तत्कालीन विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सुना गया था तथा उन्होंने दिनांक 16.12.2025 को विस्तृत आदेश पारित कर संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव को निदेश दिया था कि उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए एवं इस संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया जाए, परंतु बोर्ड के सचिव ने इस पर विचार नही कर कोई प्रतिवेदन नही भेजा। उक्त प्रश्नगत आदेश द्वारा गठित प्रबंध समिति में क्रमांक–8 पर अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में चयनित श्री सुनील शर्मा ने दिनांक 15.02.2025 को अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि उन्होंने प्रबंध समिति के गठन के क्रम में अपना हस्ताक्षर नहीं बनाया था एवं इसके बावजूद उनका नाम प्रबंध समिति में दे दिया गया था, इसके लिए उन्होंने हलफनामा भी दिया है। उक्त प्रश्नगत आदेश बिना क्षेत्राधिकार के, मनमाना, अवैध, द्वेषपूर्ण भावना से तथा गैर–कानूनी रूप से पारित किया गया है। अतः इसे खारिज किया जाए।

<u>प्रतिवादी सं0–5 का पक्षः–</u>

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के कथन का विरोध करते हुए अपीलीय प्राधिकार को बताया कि अपीलार्थी सं0–1 प्रश्नगत विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद की सेवा से वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने अपने सेवा काल में ही अपने दामाद, श्री दया शंकर मिश्र, की नियुक्ति सहायक शिक्षक पद पर कर लिया और

ज्ञापांक 65, दिनांक 01.03.2005 द्वारा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया। फिर अपीलार्थी सं0–2, जो अपीलार्थी सं0–1 की पुत्रवधू हैं, उन्हें सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त करवाकर ज्ञापांक 3825, दिनांक 31.08.2025 द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। श्री माधव मिश्र, जो अपीलार्थी सं0–1 के चचेरे भाई हैं, को विद्यालय के लिपिक पद पर नियुक्त कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया। वर्तमान में अपीलार्थी सं0–1 के अपने परिवार के तीन सदस्य विद्यालय में कार्यरत हैं, जिसमें कोई एक सदस्य ही विद्यालय आते हैं और शेष सभी सदस्यों की उपस्थिति बना देते हैं। जब प्रतिवादी सं0–5 की प्रबंध समिति का अनुमोदन प्रश्नगत आदेश द्वारा हुआ, तो प्रतिवादी सं0–5 ने इस प्रकार के गलत कार्यों को करने से रोका इसलिए अपीलार्थियों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह अपील दाखिल किया है।

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलार्थी सं0–1 ने वर्षों से विद्यालय को अपने कब्जे में रखा है और अपनी प्रबंध समिति बनाकर अपने पुत्र अर्थात अपीलार्थी सं0–2 के पति और अपनी पुत्री को विद्यालय के रिक्त पद पर नियुक्त कराना चाहते हैं। अपीलार्थियों द्वारा प्रबंध समिति के सदस्य यथा–दाता सदस्य, अभिभावक प्रतिनिधि के संबंध में लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं। प्रतिवादी सं0–5 ने उक्त विद्यालय के भवन की मरम्मति में लगभग 15,000 रूपये से अधिक खर्च किया है, जिसके संबंध में साक्ष्य बोर्ड कार्यालय में जमा है। अपीलार्थी सं0–2, श्री दया शंकर मिश्र से कनीय शिक्षिका हैं। इसलिए सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाध्यापक श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा ने श्री दया शंकर मिश्र को विद्यालय का प्रभार दिया था। अपीलार्थी सं0–2 का विद्यालय में वरीय शिक्षिका होने का दावा बिल्कुल ही अवैध है। अपीलार्थी सं0–2 द्वारा लगाया गया यह आरोप कि उनकी फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग किया गया है, बिल्कुल भ्रामक है। पूर्ण प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया के लिए आयोजित बैठक में उनका हस्ताक्षर नहीं है। जहाँ तक प्रबंध समिति का बोर्ड से अनुमोदन दिए जाने का प्रश्न है इसके संबंध में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अध्यक्ष बोर्ड के कार्यकारी प्रमुख हैं, जिन्हें अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के समुचित संचालन हेतु प्रबंध समिति के अनुमोदन देने की शक्ति है, जिसे बोर्ड की आगामी बैठक में पूर्वगामी तिथि से ही अनुमोदन दे दिया जाता है। अतः अपीलार्थियों का यह अपील तथ्यों से परे है, इसे खारिज किया जाए तथा अपीलार्थी सं0–1 के पारिवारिक सदस्यों की इस विद्यालय में की गई नियुक्ति की जाँच कराई जाए।

संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पक्षः–

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विद्यालय की पूर्व की प्रबंध समिति का गठन बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 1841, दिनांक 04.06.2021 द्वारा किया गया था, जिसका कार्यकाल दिनांक 03.06.2024 तक था। अतः, नई प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2015 के तहत पुनः एक नई प्रबंध समिति का गठन किया जाना था।

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने पत्रांक 39, दिनांक 07.06.2024 के माध्यम से बोर्ड को प्रबंध समिति के गठन हेतु प्रथम चरण की नामिका (Containing 3 names) भेजी थी, जिस पर उचित विचारोपरांत बोर्ड ने अपने

ज्ञापांक 516, दिनांक 08.07.2025 के द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया, हालाँकि उक्त प्रबंध समिति में किसी दान–दाता सदस्य का नाम शामिल नहीं था।

इसके पश्चात् विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पत्रांक 58, दिनांक 23.07.2025 के माध्यम से द्वितीय चरण की नामिका बोर्ड को भेजी, जिस पर विचारोपरांत बोर्ड ने अपने ज्ञापांक 593, दिनांक 29.07.2025 द्वारा अनुमोदन दिया।

बोर्ड के अधिवक्ता ने संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा 24 का उल्लेख कर बताया कि अपीलार्थी सं0–1 विद्यालय से किसी प्रकार से संबंधित नहीं हैं तथा वह विक्षुब्ध व्यक्ति की श्रेणी नें नहीं आ सकते। उक्त अधिनियम, 1981 एवं प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2015 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अंतर्गत P.I.L को अपील के रूप में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष लाया जा सके। अतः अपीलार्थी सं0–1 का अपील दायर करने का अधिकार (Locus) नहीं बनता है।

अपीलार्थी सं0–2 के दावे के संबंध में कहा गया है कि श्रीमती दीपमाला पाण्डेय, विद्यालय में शिक्षिका है तथा उन्हें प्रबंध समिति में शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। अतः वह भी बोर्ड अथवा अध्यक्ष के आदेश से विक्षुब्ध नहीं हो सकती। प्रबंध समिति सही तरीके से गठित हुई है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के पारा–11 (4) में यह प्रावधान है कि जब निकट भविष्य में बोर्ड की बैठक नहीं हो रही हो एवं बोर्ड के अध्यक्ष आश्वस्त हो कि ऐसी परिस्थिति में निर्णय लेना आवश्यक है, तब बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड में निहित शक्ति का प्रयोग कर निर्णय ले सकते हैं, जिसे बोर्ड की अगली बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाएगा। बोर्ड का प्रश्नगत आदेश सही एवं वैध है, चूँकि यह विद्यालय के सुचारू संचालन के हित में पारित किया गया था।

अपीलार्थियों के अपील के पारा–11 (iii & iv) में वर्णित तथ्य कि श्री परशुराम शर्मा ने विद्यालय में 10,000/रू0 का दान अथवा कोई दान नहीं किया है, के संबंध में बोर्ड के अधिवक्ता का कथन है कि यह गलत एवं भ्रामक तथ्य है क्योंकि प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2015 के नियम 3 (iv) में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति 10,000/रू0 की राशि अथवा उपस्कर दान कर सकते हैं एवं श्री परशुराम शर्मा द्वारा 6 जोड़ा बेंच–डेस्क विद्यालय को दान किया गया, जिसकी कीमत 12,000/रू0 है।

अपीलार्थियों द्वारा अपील के पारा–11 (iii & iv) में यह दावा करना कि श्रीमती सरिता देवी एवं सुनील शर्मा के अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य बनाया गया, के संबंध में कहा गया है कि उक्त अभिभावक प्रतिनिधियों के बच्चे दीपक कुमार एवं अंजली कुमारी उक्त विद्यालय में अध्ययनरत हैं जो कि विद्यालय के दाखिले पंजी एवं दिनांक 15.07.2025 के प्रबंध समिति के निर्णय से ज्ञात होता है।

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी सं0–5 के कथन का समर्थन करते हुए बताया कि प्रश्नगत आदेश का संस्कृत शिक्षा बोर्ड से अनुमोदन हो चुका है। अतः यह अपील Infructuous हो गया, इसे खारिज कर दिया जाए।

निष्कर्षः– अपीलार्थियों, प्रतिवादी सं0–5 एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ताओं को भिन्न–भिन्न तिथियों पर विस्तार से सुना। सभी पक्षों के मौखिक बहस, लिखित जवाब एवं अपील की संचिका में रक्षित कागजातों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपील संस्कृत उच्च विद्यालय, अंधारी, सहार, भोजपुर के प्रबंध समिति का संस्कृत शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 593, दिनांक 29.07.2025 द्वारा दिए गए अनुमोदन के विरूद्ध इस आधार पर दाखिल किया गया है कि प्रश्नगत आदेश संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के आदेश से निर्गत किया गया है, इसे संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया है। किन्तु संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में अपीलीय प्राधिकार को यह बताया गया है कि प्रश्नगत आदेश का अनुमोदन संस्कृत शिक्षा बोर्ड से हो चुका है।

दिनांक 15.05.2026 को अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दायर लिखित बहस में बताया गया है कि "उक्त प्रश्नगत आदेश द्वारा गठित प्रबंध समिति में क्रमांक–8 पर अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में चयनित श्री सुनील शर्मा ने दिनांक 15.02.2025 को बोर्ड के सचिव को आवेदन द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि उन्होंने प्रबंध समिति के गठन के क्रम में अपना हस्ताक्षर नहीं बनाया था एवं इसके बावजूद उनका नाम प्रबंध समिति में दे दिया गया था, इसके लिए उन्होंने हलफनामा भी दिया है।" उक्त लिखित बहस के अनुलग्नक–6 की श्रृंखला में मौजूद हलफनामा दिनांक 08.05.2026 के हस्ताक्षर से बना हुआ अवलोकित होता है, जबकि यह अपील दिनांक 05.05.2026 को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि मौजूदा हलफनामा आनन–फानन में अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने का एक प्रयास है।

प्रतिवादी सं0–5 का यह दावा कि वर्तमान में अपीलार्थी सं0–1 के परिवार के तीन सदस्य विद्यालय में कार्यरत हैं, जिसमें कोई एक सदस्य ही विद्यालय आते हैं और शेष सभी सदस्यों की उपस्थिति बना देते हैं। यह एक गहन जाँच का विषय प्रतीत होता है, जिसे प्रतिवादी सं0–5 सक्षम प्राधिकार के समक्ष नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपर्युक्त के आलोक में, इस अपील को खारिज किया जाता है एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड को निदेश दिया जाता है कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड का प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 593, दिनांक 29.07.2025 में यदि बोर्ड से अनुमोदन में कोई त्रुटि हो तो उसका निदान आदेश प्राप्ति के तीन माह के अंदर कर लिया जाए। इस निदेश के साथ इस अपील की सुनवाई बंद की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 63 दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड, 17, बैंक हार्डिंग रोड, पटना/सुरेन्द्र मिश्र, पिता–स्व0 जगरनाथ मिश्र, मोहल्ला–गौतमबुद्ध नगर, गोढ़ना रोड, आरा,

थाना–नवादा, जिला–भोजपुर/दीपमाला पाण्डेय, पति–आशुतोष आनंद, मोहल्ला–गौतमबुद्ध नगर, गोढ़ना रोड, आरा, थाना–नवादा, जिला–भोजपुर/ओंकार शर्मा, अध्यक्ष, प्रबंध समिति, संस्कृत उच्च विद्यालय, अंधारी, सहार, जिला–भोजपुर/परशुराम शर्मा, पिता–स्व0 राधाकृष्ण शर्मा, सचिव, प्रबंध समिति, संस्कृत उच्च विद्यालय, अंधारी, सहार, जिला–भोजपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।